भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1123

27 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण

1123. श्री नरहरी अमीन:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में लगभग 80,000 सहकारी समितियां स्थापित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के विकास एवं क्षमता के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एक पृथक मंत्रालय बनने के पश्चात इन समितियों के क्षमता विस्तार हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल – 2018 के अनुसार गुजरात में 77,500 सहकारी समितियां हैं ।

(ख) व (ग) सहकारिता क्षेत्र को पुन:सक्रिय करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक सहकारिताओं के निर्माण, सहकारी समितियों के क्षमता निर्माण और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए, मंत्रालय द्वारा गुजरात की सहकारी समितियों सहित पूरे देश में अनेक पहल की हैं जिनमें से कुछ दूरगामी पहल नीचे दिए गए हैं:

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 जून, 2022 को निर्णय लेते हुए सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-प्लैटफॉर्म पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जो उन्हें देशभर में GeM पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेगा । इससे सहकारी समितियों को अपने प्रापण प्रणाली में बचत करने और पारदर्शिता में सुधार करने में मदद मिलेगी ।

2. दिनांक 29 जून, 2022 को सहकारिता क्षेत्र को पुन:सक्रिय करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना का शुभारंभ किया है ।

3. PACS के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें ग्रामीण स्तर पर जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने हेतु राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों की परामर्श से PACS के प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं ।

4. सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को यह स्पष्ट करते हुए राहत प्रदान की है कि उन्हें उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य सलाह मूल्य (SAP) तक, जैसा भी मामला हो, किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा ।

5. सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय वृद्धि के लिए 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

6. सहकारी समितियों को कंपनियों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है ।

7. सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति देने हेतु सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने के क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) द्वारा गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को योजना के तहत बतौर सदस्य उधारकर्ता संस्थान अधिसूचित किया गया है ।

8. दिनांक 08 जून, 2022 को आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सहकारी समितियों के विकास के लिए नई प्रेरणा प्रदान की गई, अर्थात:

क. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुना बढ़ा दी गई ।

ख. ग्रामीण सहकारी बैंको को वाणिज्यिक रीयल एस्टेट रिहाईशी आवासन क्षेत्र को उधार देने की अनुमति दी गई ।

ग. यूसीबी ओ(UCBs) वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई ।

9. सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के लिए मंत्रालय "सहकार से समृद्धि" योजना बनाने के लिए भी पहल कर रहा है ।

10. देश भर में सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक और पेशेवर बनाने के लिए एक योजना भी बनाई जा रही है ।

सहकारी समितियों को लाभ देने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए उपर्युक्त पहल के अतिरिक्त, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, जैसे:

1. कृषि अवसंरचना फंड (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) – एफपीओ, पैक्स, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और अन्य लाभार्थियों द्वारा फार्म गेट पर अवसंरचना परियोजना के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए के ऋण तक, सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा रही है

2. डेयरी प्रसंस्क्रमण और अवसंरचना विकास फंड (पशुपालन और डेयरी विभाग)- यह योजना नए दुग्ध-प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, उनके आधुनिकीकरण, पुनर्विकास सेवाओं, दुग्ध परीक्षण उपकरणों, बीएमसी इकाईयों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन और विपणन की स्थापना के उद्देश्य से देशभर के राज्य डेयरी संघों और एनडीडीबी अनुषंगी संस्थानों, जिन्हें पात्र अंतिम उधारकर्ता (ईईबी) भी कहा जाता है, को ऋण सहायता और 2.5% ऋण अनुदान प्रदान करने की परिकल्पना करता है ।

3. मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर विकास फंड (मत्स्य विभाग)- यह योजना ब्रूड बैंक की स्थापना, हैचरी के विकास, एक्वाकल्चर के विकास, जलशय में केज-कल्चर, बर्फ संयंत्रों की स्थापना,शीतागार के निर्माण, मत्स्य परिवहन आदि सहित विभिन्न अंतरदेशीय मत्स्य पालन कार्यकलापों के विकास के लिए 3% ब्याज अनुदान के साथ रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

4. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), मुख्यत: वनों में निवास करने वाली जनजातीय आबादी वाले जिलों में लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के संग्रहण और विक्रय के वन धन कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है । इसका उद्देश्य जनजातीय जिलों में जनजातीय स्वामित्व वाली वन धन विकास केन्द्र समूहों (वीडीवीकेसी) की स्थापना करना है । इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों/वन धन केन्द्रों को 100% सहायता प्रदान की जाती है ।

*****